न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–XIII, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

नियमित जमानत याचिका संख्या–1558 / 2026

बंजरिया थाना कांड संख्या–334 / 2025

उपस्थितः– अजय शंकर प्रसाद
अपर सत्र न्यायाधीश–13
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

राजेश सहनी एवं अन्य ..... आवेदकगण।

बनाम

राज्य .....विपक्षी ।

==========

आवेदकगण की ओर से–श्री विजय कुमार मिश्रा (विद्वान अधिवक्ता)।

अभियोजन की ओर से–श्री खुबलाल प्रसाद (विद्वान लोक अभियोजक)।

==========

आदेश

12.06.2026

न्यायिक अभिरक्षाधीन आवेदकगण **1. राजेश सहनी, पिता–चंद्रिका सहनी, 2. छठु सहनी, पिता–चंद्रिका सहनी एवं 3. मंजु देवी, पति–चंद्रिका सहनी, सभी का साकिनान– चैलाहा टाल, थाना–बंजरिया, जिला– पूर्वी चम्पारण,** के द्वारा बंजरिया थाना कांड सं0–334 / 25 अंतर्गत धारा– 191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 118(1), 109, 103(1), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्राप्त कराया जा चुका है। आवेदकगण दिनांक–11.05.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

अभियोजन कथानक संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 17.06.2025 को करीब 6:25 बजे संध्या में पूर्व के बाराती विवाद को लेकर सुनियोजित तरीका से हरवे हथियार से लैस होकर शिवकुमार राम, कामेश्वर सहनी, मोहन सहनी, मुकुल कुमार, सिकन्दर सहनी, राजेश सहनी, नन्दकिशोर सहनी, जितेन्द्र सहनी, सुग्रिम राम उर्फ टिकरिम, विजय पासवान, मुन्ना भगत, भूलन सहनी, प्रदीप सहनी, रंजित सहनी, छठू सहनी, राम बाबु सहनी, राजा कुमार, मंजू देवी, रामेश्वर सहनी, अंगद कुमार, विजय राम सभी साकिनान– चौलाहां टाल, थाना– बंजरिया, जिला– पूर्वी चम्पारण, सुरज राम साकिन– रघुनाथपुर, थाना– रघुनाथपुर, जिला– पूर्वी चम्पारण तथा अन्य अज्ञात

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–XIII, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
नियमित जमानत याचिका संख्या–1558 / 2026
बंजरिया थाना कांड संख्या–334 / 2025

लगातार
12.06.2026

60–70 व्यक्ति जिसका नाम पता नामालूम जिसे देखने पर मै पहचान लुंगी अचानक से मेरे दरवाजे पर आ गए एवं मारो मुआवो का नारा लगाते हुए भद्दी–भद्दी गाली देकर चिल्लाने लगे कि अब्बासवा साला कहां है हल्ला एवं गाली गलौज की आवाज सुनकर जैसे ही मेरे पति घर से बाहर निकले तब तक शिव कुमार राम देखते ही बोला की क्या देखते हो साला मिल गया आज इसकी हत्या करा दो। इतने पे सभी मुदालह अपने हाथ में लिए हथियार लेकर मेरे पति पर दौड़े तब तक सिकंदर सहनी अपने हाथ में लिए लाठी से जोर से मेरे पति को मारा, लाठी लगते ही मेरे पति जमीन पर गिर गए तबतक मुकुल कुमार मेरे पति को पीछे से पकड़ लिया एवं उनकी दोनो हाथों को ममोड़ कर पीछे घुमा दिया इस बीच शिव कुमार राम पुनः ललकारते हुए बोले की देखते क्या हो साले की हत्या कर दो। इस पर कामेश्वर सहनी उर्फ सेठ अपने हाथ में लिए बड़ा सा चाकू जान मारने के नियत से मेरे पति के पेट में घुसेड़ दिया। चाकू लगते ही मेरे पति जमीन पर गिर गए एवं पेट का अंदरूनी हिस्सा बाहर निकल गया एवं खून का फव्वारा बहने लगा इसी बीच सुग्रीम राम उर्फ टिकरिम लोहे के रड से मारकर दाहिना कंधा जख्मी कर दिया। उसके बाद भूलन सहनी लोहे के रड से मारकर सर बुरी तरह जख्मी कर दिया। मेरे पति को बचाने मेरा लड़ा अबु तालीब आया तो उसे राजा कुमार हाथ में लिए चाकू से मारकर उसका हाथ जख्मी कर दिया। जब मेरे ससुर जुमन अंसारी बीच बचाव करने लगे तो मोहन सहनी लोहे के पाईप से मारकर उनका दोनो पैर जख्मी कर दिया उसके बाद राजेश सहनी उन्हें लाठी से मारकर गिरा दिया। मेरा देवर मो0 एहसानुल हक को जितेन्द्र सहनी चाकू से मारकर दाहिना हाथ की अंगुली काट दिया तथा सूरज राम लाठी से मारा। देखते ही देखते मेरे पति की मृत्यु हो गयी। इस घटना को धर्मेन्द्र राम एवं विजय पासवान फोन करके आसपास के अपराधियों को बुलाकर इकट्ठा कर रहा था। उक्त प्रदीप सहनी नलकटुआ का भय दिखाकर लोगों को भगा रहा था और कह रहा था कि जो लोग बीच बचाव करने आयेगा उसको भी जान से मार देंगे। सभी जख्मियों एवं मृत प्राय मेरे पति को सवारी पर लादकर रहमानिया मेडिकल सेन्टर ले जाया गया जहां ईलाज से पहले ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरे ससुर, बेटा, देवर, एबादुल अंसारी एवं अन्य जख्मियों का ईलाज सदर अस्पताल, मोतिहारी मे हो रहा है। विदित हो कि दिनांक 16.06.2025 को मेरे पड़ोस में शादी थी जिसमें उक्त लोग बार–बार

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–XIII, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
नियमित जमानत याचिका संख्या–1558/2026
बंजरिया थाना कांड संख्या–334/2025

लगातार
12.06.2026

व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे एवं ये लोग पूर्व में भी कोई भी आयोजन होने पर व्यवधान उत्पन्न करते रहते है। इसी बात को लेकर मेरे पति ने कहा कि इस तरह का अत्याचार आपलोग क्यों करते है। जिस पर सुनियोजित ढंग से सभी नामजद एवं 60–70 अज्ञात व्यक्ति हरवे हथियार से लैस होकर मेरे घर पर चढ़कर मेरे पति की हत्या कर दिये। घटना को बीच बचाव करने वाले में इमामुल अंसारी, जिकरूल्लाह अंसारी, फिरोज अंसारी, अख्तर अंसारी एवं गांव के अन्य लोग मौजुद थे।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में कथन किया है कि आवेदकगण के द्वारा पूर्व में ए0बी0पी0 5225/25 और ए0बी0पी0 4965/25 जिन्हें ए0डी0जे0–12, मोतिहारी के द्वारा खारिज किया गया है, और क्रि0 मि0 नं0 15833/26 को खारिज कर दिया गया और क्रि0 मि0 नं0 15707/26 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारिज कर दिया गया, इसके अलावा इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई भी अन्य नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। जमानत आवेदन के कंडिका 3 में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी है। इस वाद में धारा 109, 103(1) भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर शेष सभी धाराएँ जमानतीय है तथा उक्त धाराएँ आवेदकगण के विरूद्व आकर्षित नहीं होती है। आवेदकगण को न तो घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है और न ही आवेदकगण के पास से कोई वस्तु बरामद नहीं हुआ है। आवेदकगण को दिनांक 11.05.2025 को इस केस में रिमान्ड किया गया है तथा उसी समय से अभियुक्त कारा अभिरक्षा में है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों को मानने तथा उक्त संबंध में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। निवेदित है कि आवेदकगण को नियमित जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा नियमित जमानत आवेदन का पूरजोर तरीके से विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना। नियमित जमानत आवेदन, आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रतीत होता है कि आवेदकगण पर अन्य सह–अभियुक्तों के साथ सुनियोजित ढंग से हरवे हथियार से लैश होकर सूचिका के पति की हत्या करने का आरोप है जिसका समर्थन

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–XIII, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
नियमित जमानत याचिका संख्या–1558 / 2026
बंजरिया थाना कांड संख्या–334 / 2025

लगातार
12.06.2026

सूचिका ने अपने पुनः बयान में तथा कांड दैनिकी के कंडिका–7 , 8, 70, 71 एवं 72 में दर्ज साक्षियों ने अपने बयान में किया है। अभी अनुसंधान जारी है। अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जो दर्शित करे कि आवेदकगण को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

मामले के उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों, वाद की परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण **1. राजेश सहनी, 2. छठु सहनी एवं 3. मंजु देवी,** का नियमित जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
ह0 / –
(अजय शंकर प्रसाद)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XIII
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
दिनांक–12.06.2026